157

संख्याः 441 / XV-1/13/1(5)/11टC

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 12 मार्च, 2013

विषयः **चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर चालू योजनाओं में अनुपूरक अनुदान में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3283/नि०–5/एक(22)/आय–व्यय/2012–13 दिनांक 13 दिसम्बर 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में आय–व्ययक में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर की निम्न चालू योजनाओं में **₹ 8.00 लाख (₹ आठ लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि ₹ हजार में)

लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	आवंटित धनराशि
(1)मुख्य लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनागत–00– 101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–	
08–पशु चिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा	
42–अन्य व्यय	200
(2)मुख्य लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनागत–00– 102–पशु तथा भैंस विकास–	
06–पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु डेरी यूनिट की स्थापना	
42–अन्य व्यय	400
(3)मुख्य लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनागत–00– 106–अन्य पशुधन विकास–	
06–पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव की योजना	
42–अन्य व्यय	200
योग	**800**

(1) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फॉट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत उपरोक्त लेखाशीर्षकों के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 एवं शासनादेश संख्या–607/XXVII(1)/2013 दिनांक 01 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः 441 (1) / XV-1/ 2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/परियोजना निदेशक, पशुलोक, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4
7. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव